

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 2349 /

164

दिनांक :- 26/4/2016

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री श्रीमती इन्द्रा काबरा [लिंक नं. 2349] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, चित्तौड़गढ़ [1101] को दिनांक 09/04/2012 दिनांक से 30/04/2013 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, चित्तौड़गढ़ [22363] के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 2349 /

164

दिनांक :- 26/4/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, चित्तौड़गढ़
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, चित्तौड़गढ़
3. कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़
4. श्री/श्रीमती / सुश्री श्रीमती इन्द्रा काबरा [2349] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, चित्तौड़गढ़
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली



(डॉ मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)